प्रति/3166/PBR/15

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर

बुरहानपुर म.प्र.

रा.पुनरीक्षण क्र

श्रवण दिनांक

1. श्रीमती जीजाबाई आयु लगभग 60 वर्ष पति स्व. भगवान निवासी एम.जी. नगर तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर

——— पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमती शमशुन कुरैशी पति शेख सोहराब कुरैशी निवासी ग्राम मकान नंबर ए–1/350 सात नंबर गेट नेपानगर तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर

——— उत्तरदाता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959

पुनरीक्षणकर्ता निवेदन करती हे कि :–

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय नेपानगर बुरहानपुर द्वारा राजस्व प्रकरण 118–अ/12 वर्ष 2012–13 (श्रीमती शमशुन कुरैशी वि जीजाबाई) में उत्तरदाता के सीमाकन आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2013/27.04.2013/24.12.2013 के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा दिनांक 11.01.2014 को की गई है। तथा उक्त कार्यवाही के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2014 को सीमांकन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत होकर प्रकरण नस्ती किया जिससे पीडित एवं व्यथित होकर उक्त सीमांकन की कार्यवाही को चुनौति प्रदान करते हुये यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3166–पीबीआर/15 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2016	उभयपक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदिका की ओर से दिनांक 4–2–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 21–9–2015 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और आवेदक की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु जो अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण नहीं बताया गया है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	